Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[L.D. Appeal Case No.-1005/2024-25]

Abdul Rahman...Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.1.2026	See order below	

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-28/2024-25 में दिनांक-17.12.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बायसी	सुगवामहानंदपुर/476	11	382	11 डी. 9 वर्गकड़ी
		सिकमी खाता - 6	380, 483	

दिनांक 05.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके पिता शेख सुरमान के नाम से सिकमीदार के रूप में अंकित है। तथा यह कि उनके पिता की मृत्यु के उपरान्त लगभग 12डी. जमीन का सिकमी हक उनके हिस्से में आया एवं प्रश्नगत जमीन के Legal heirs से निबंधित केवाला के आधार पर क्रय किया गया। उनका यह भी कहना है कि विपक्षीगण उनके सहोदर भाई हैं। तथा जबरन उनके खरीदगी जमीन पर विपक्षीगण द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। जबकि विपक्षीगण का कहना है कि उनके द्वारा वर्ष-2011 में प्रश्नगत खाता खेसरा में कुल 18 डी. 31 क़ड़ी जमीन का क्रय किया गया, जिसके उपरान्त उनके शांतिपूर्ण दखल कब्जे में रहा। साथ ही उनका कहना है कि अपीलार्थी द्वारा विपक्षीगण को उनके जमीन से बेदखल करने के उद्येश्य से दिनांक-26.8.2024 को मारपीट किया गया। जिसके लिए विपक्षी सं0-2 की पत्नी द्वारा बायसी थाना कांड सं0-246/24 दर्ज कराया गया।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उभय पक्ष के बीच आपसी पारिवारिक जमीन के बंटवारे एवं दखल-कब्जा को लेकर विवाद है। चुँकि उभय पक्ष आपस में सहोदर भाई हैं तथा प्रश्नगत जमीन पर उनके पिता स्व. शेख सुरमान को सिकमी हक प्राप्त था। उभय पक्ष के द्वारा उपरोक्त जमीन को निबंधित केवाला के आधार पर क्रय करने का दावा किया जा रहा है। कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि दोनों पक्ष के द्वारा सिकमी भूमि का खरीद-बिक्री किया गया है, जो विधि-सम्मत नहीं है क्योंकि सिकमी भूमि Heritable होती है, ना कि Transfarable. सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त कानूनी बिन्दु को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी का दावा विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Bye K.
21/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।
Bye K.
21/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया